

दिनांक 19.09.2023 (मंगलवार) अपराह्न 12:30 बजे माननीय शिक्षा मंत्री—सह—अध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् की अध्यक्षता में परिषद् के सभागार कक्ष में आहूत बैठक की कार्यवाही।

कार्यवाही

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् की द्वितीय बैठक मा० शिक्षा मंत्री—सह—अध्यक्ष प्रो० चन्द्रशेखर की अध्यक्षता में दिनांक 19.09.2023 को सम्पन्न हुई। बैठक की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए उपाध्यक्ष महोदय डॉ० कामेश्वर झा द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। तत्पश्चात् सदस्य सचिव सह—रा०परि०नि० द्वारा परिषद् के सभी सम्मानित सदस्यों का अभिवादन करते हुए विस्तृत एजेण्डा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। बैठक में निम्नवत् उपस्थित रही :-

उपस्थित परिषद् सदस्य

1. प्रो० चन्द्रशेखर मा० शिक्षा मंत्री—सह—अध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, पटना।
2. डॉ० कामेश्वर झा, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, पटना।
3. श्री बैद्यनाथ यादव (भा०प्र०से०), सदस्य सचिव सह रा०परि०नि० सह सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. श्री अरुण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. श्रीसुधीर कुमार, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
6. प्रो० रेखा कुमारी, निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
7. प्रो० गिरिश कुमार चौधरी, कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना।
8. प्रो० श्यामा राय, कुलपति, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर।
9. श्री रमाशंकर सिंह, उप निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।
10. श्री संजय कुमार सिंह, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग (प्रतिनिधि वित्त विभाग), बिहार पटना।

बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिया गया :-

एजेण्डा-02/01

गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि—

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् की गत बैठक दिनांक 11.03.2021 के एजेण्डा सं० 1/4 को छोड़कर 1/5 तथा 1/6 में आंशिक संशोधन (एजेण्डा 2/11 में यथा संशोधित) के साथ सम्पूर्ण कार्यवाही को परिषद् स्तर से सम्पुष्ट किया गया।

एजेण्डा-02/02

गत बैठक में प्रदत्त निदेश की अनुपालन आख्या—

गत बैठक की अनुपालन आख्या से अवगत होते हुए एजेण्डा सं० 1/4 "बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् द्वारा विकसित किए जा रहे Unified Management Information System (UMIS) के Expression of Interest (EOI) से संबंधित एजेण्डा पर अनुमोदन" के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निविदा आमंत्रण से संबंधित संचिका का पुर्नरीक्षण करने की इच्छा व्यक्त की गई एवं संतुष्ट होने तक अग्रेत्तर कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोके जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

एजेण्डा सं0 1/5 उच्चतर शिक्षण संस्थानों से संबंधित शैक्षणिक तथा तकनीकी सुधारों से संबंधित कार्यों के अनुश्रवण हेतु Academic Reforms Committee, Quality Assurance Cell, Committee for IT & ICT, State NAAC Committee एवं Committee for Implementation of National Education Policy गठन की संरचना के संबंध में पृच्छा की गयी एवं यह निदेश दिया गया कि चार समितियाँ यथा Academic Reforms Committee, Quality Assurance Cell एवं State NAAC Committee में परिषद् के उपाध्यक्ष श्री कामेश्वर झा की अध्यक्षता में क्रियान्वित होगी तथा IT & ICT से संबंधित पाँचवी समिति राज्य परियोजना निदेशक, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की अध्यक्षता में क्रियान्वित रहेगी। सभी पाँच समितियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बिहार के संदर्भित क्रियान्वयन हेतु मन्तव्य देगी।

एजेण्डा-02/03

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के प्रतीक चिन्ह (Logo) पर चर्चा एवं अनुमोदन-

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के प्रतीक चिन्ह, पटना आर्ट एवं क्राफ्ट कॉलेज के छात्रों के माध्यम से तैयार करवाकर प्रयोग में लाने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा-02/04

बिहार राज्य में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तृतीय चरण के रूप में प्रधानमंत्री-उच्चतर शिक्षा अभियान के संचालन तथा इस हेतु शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं बिहार राज्य सरकार के मध्य किये जाने वाले सहमति ज्ञाप पर हस्ताक्षर के संबंध में-

बिहार राज्य में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तृतीय चरण के रूप में प्रधानमंत्री-उच्चतर शिक्षा अभियान के संचालन तथा इस हेतु शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं बिहार राज्य सरकार के मध्य किये जाने वाले सहमति ज्ञाप पर हस्ताक्षर के प्रस्ताव पर परिषद् द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा गया कि इस संबंध में संचिका उच्च स्तरीय अनुमोदन हेतु उपस्थापित है, संचिका वापस आने पर तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

एजेण्डा-02/05

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अधिनियम की धारा 17 के अनुपालन में परिषद् स्तर से निर्गमन हेतु प्रस्तावित वार्षिक प्रतिवेदन के निर्माण संबंधी तथ्यों पर विमर्श-

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् 31 मार्च को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त, 30 सितम्बर तक गत वित्तीय वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करके, निर्धारित संख्या में उसका मुद्रण कराने के उपरान्त, शिक्षा विभाग (सरकार) के माध्यम से विधान मंडल के शीत कालीन सत्र में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा-02/06

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अधिनियम की धारा 22 के अर्न्तगत परिषद् के कार्यों एवं शक्तियों हेतु विनियमावली बनाने एवं विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का अनुमोदन-

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के संरचना के अनुरूप निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु परिषद् स्तर से विनियमावली बनाने एवं सरकार के विभागीय मंत्री के माध्यम से विधान मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर परिषद् का अनुमोदन किया गया।

एजेन्डा-02/07

बिहार राज्य में उच्चतर शिक्षा के अन्तर्गत चार वर्षीय बी०एड० संकलित कोर्स (Four Year Integrated B.ED Course) के संचालन के प्रस्ताव का विचार—

बिहार राज्य में उच्चतर शिक्षा के अन्तर्गत चार वर्षीय बी०एड० संकलित कोर्स (Four Year Integrated B.Ed Course) के संचालन के प्रस्ताव का विचारोपरान्त इस पाठ्यक्रम के संचालन से विद्यार्थियों के हित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव को परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

एजेन्डा-02/08

सहायक प्रध्यापक (Assistant Professor) संबंधी अहर्ता हेतु बिहार राज्य योग्यता परीक्षा (Bihar State Eligibility Test) प्रारम्भ करने पर विचार—

बिहार राज्य योग्यता परीक्षा प्रारम्भ करने पर सर्वसम्मति से यह विचार बना कि परिषद् BSET के आयोजन की आवश्यकता, UGC के नियमों/पृष्ठभूमि तथा राज्य के छात्रों के हित संरक्षित करने के उद्देश्य को राज्य सरकार के समक्ष रखा जाना चाहिए ताकि सरकार स्तर पर अग्रत्तर निर्णय लिया जा सके।

एजेन्डा-02/09


बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अधिनियम की धारा 10 के अनुपालन में उच्चतर शिक्षा के समग्र विकास एवं उसकी गुणवत्ता में वृद्धि के लिये योजनाओं से संबंधित सूचनाओं एवं निधि के प्रवाह का अनुश्रवण, प्रबन्धन, सूचना तंत्र का निर्माण तथा परिषद् के प्रवर्तन हेतु सहायता के लिये तकनीकी सहायता समूह में 05 वरिष्ठ विशेषज्ञों का नियोजन कर सेवार्यें प्राप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन—

सर्वसम्मति से तकनीकी सहायता समूह को गठित करने का निर्णय लिया गया। तकनीकी सहायता समूह में कार्यरत वरिष्ठ विशेषज्ञ, श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह बि०प्र०से०, विशेष सचिव (से०नि०) को सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए, शेष 04 विशेषज्ञों की सेवार्यें पूर्ववत् प्रक्रिया के अनुरूप प्राप्त किए जाने हेतु मा० मंत्री सह-अध्यक्ष को अधिकृत किया जाय।

एजेन्डा-02/10

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत सृजित पदों के विरुद्ध रिक्त चल रहे पदों पर दो बार प्रकाशन के उपरान्त भी निर्धारित अहर्ता के अनुरूप अभ्यर्थी उपलब्ध न हो पाने के कारण निर्धारित अहर्ता में शिथिलता प्रदान करने हेतु सदस्य सचिव सह रा०परि०नि० को अधिकृत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन—

परिषद् द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि पुनः एक बार विज्ञापन कराया जाय और उसके फलाफल के आधार पर निर्धारित अहर्ता में शिथिलता प्रदान करने हेतु सदस्य सचिव सह रा०परि०नि० को अहर्ता संबंधी प्रस्ताव पर विचारोपरांत सम्यक कार्रवाई हेतु अधिकृत किया गया।



एजेन्डा-02/11

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के अर्न्तगत कार्यों की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव -सह- राज्य परियोजना निदेशक बिहार राज्य उच्चर शिक्षा परिषद् हेतु निजी सचिव के तीन पद एवं परिषद् कार्यालय में 8 संगणक संचालको (कम्प्यूटर ऑपरेटर) को परिषद् में नियोजित किये जाने के प्रस्ताव में आंशिक संशोधन करते हुये परिषद् कि प्रथम बैठक में अनुमोदित एजेन्डा प्रस्ताव संख्या 1/6 में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 2 निजी सचिव के स्थान पर 3 निजी सचिव एवं 8 संगणक संचाल को (कम्प्यूटर ऑपरेटर) की सेवा आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से ही प्राप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन।

परिषद् द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा बिन्दु-02/12

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् की वित्तीय स्थिति की समीक्षा एवं अनुमोदन-

परिषद् द्वारा प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु-02/13

वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के अंकेक्षित अंतिम लेखों का अनुमोदन-

परिषद् द्वारा आन्तरिक अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षित विगत वर्षों 2014-15 से 2022-23 तक के अंतिम लेखों का अनुमोदन सर्वसम्मति से प्रदान किया गया। भविष्य में निविदा के माध्यम से एजेन्सी का चयन कर अंकेक्षण का कार्य कराये जाने पर समिति सदस्यों द्वारा सहमती दी गयी।

एजेण्डा बिन्दु-02/14

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अधिनियम की धारा 16 वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के अंतिम लेखों का संवैधानिक अंकेक्षण महालेखाकार कार्यालय से कराये जाने विषयक सूचनार्थ-

परिषद् द्वारा आन्तरिक अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षित विगत वर्षों के अंतिम लेखोंका नियमानुसार संवैधानिक अंकेक्षण महालेखाकार कार्यालय से कराये जाने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु-02/15

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के दैनिक कार्यों के सुगम संचालन हेतु Imprest amount की पूर्व से स्वीकृत राशि रू0 30 हजार की सीमा को बढ़ाकर 50 हजार करने के प्रस्ताव का अनुमोदन-

परिषद् की बैठक में उक्त एजेण्डा की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतएव स्थगित।

एजेण्डा बिन्दु-02/16

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् की बैठक में आमंत्रित सदस्यों को पूर्व से दी जाने वाली राशि रू0 5000/- के भुगतान प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति।

परिषद् की बैठक में उक्त एजेण्डा की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतएव स्थगित।

एजेण्डा बिन्दु-02/17

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के अर्न्तगत विभिन्न तकनीकी कार्यो एवं बैठको में भाग लेने वाले विशेषज्ञों को रू0 2000/- प्रतिदिन/बैठक के आधार पर दिये जाने भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति।


परिषद् द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।


एजेण्डा-02/18


मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्यान्य :-

1. सम्पूर्ण राज्य के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों में Ph.D शोधार्थी चयन की परीक्षा (PRT) एकीकृत रूप में हो। शर्त यह लगायी गयी कि परीक्षा का संचालन हर विश्वविद्यालय द्वारा घूर्णी व्यवस्था (Rotational System) के आधार पर लागू किया जाये। इसे CLAT तथा वर्तमान B.Ed की CET (Common Entrance Test) के तर्जपर लागू किया जाय। विस्तृत कार्य-योजना बनाकर महामहिम को भेजने पर सहमति बनी।
2. विश्वविद्यालयों में Ph.D में अध्ययनरत शोधार्थियों को मुख्यमंत्री Ph.D स्कॉलरशीप योजना से आच्छादित करने संबंधी कार्रवाई पर सहमति बनी।
3. क्षमता संवर्द्धन एवं Seminars, Symposium तथा Exchange Programme का आयोजन परिषद् द्वारा आयोजित कराये जाने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन दिया गया एवं इस हेतु बजट प्रस्ताव शिक्षा विभाग को स्वीकृति हेतु शीघ्र प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव पर सहमति दी गई।
4. निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा प्रस्ताव किया गया कि राज्य में संचालित BCA, BBA, B.Lib तथा M.Lib इत्यादि Vocational पाठ्यक्रमों के Affiliationके लिए विशयों की आधारभूत संरचनाओं के मानक, शिक्षकों की संख्या, वर्ग, नियुक्ति इत्यादि नियमावली का विस्तृत प्रारूप बनाने का प्रस्ताव परिषद् स्तर से हो।
5. उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, शोध और अनुसंधान संवर्द्धन, कौशल विकास तथा जीविकोपार्जन की दृष्टि से शिक्षा को उपयोगी बनाने के लिए सुविख्यात देशी-विदेशी संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों तथा शोध प्रतिष्ठानों के साथ एकरारनामा (Memorandum of Understanding) का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विशिष्ट व अनुभवी व्यक्तियों की एक पाँच सदस्य समिति गठित करने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
6. बिहार राज्य में CSIR लैब की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करने का सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी है।


डॉ अर्चना, उप सचिव (परियोजना-सह-प्रशासन), बि0रा0उ0शि0प0 के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन में सभी का आभार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय के अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।


(बैद्यनाथ यादव)
सदस्य सचिव-सह-
राज्य परियोजना निदेशक,
बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद,
पटना


(डॉ० कामेश्वर झा)
उपाध्यक्ष,
बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद,
पटना।


(प्रो० चन्द्रशेखर)
शिक्षा मंत्री-सह-अध्यक्ष, बिहार
राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद,
पटना

ज्ञापांक:-SHEC/Council Meet/22/2015-PART-I-467पटना, दिनांक ०४/११/२०२३
प्रतिलिपि:-माननीय शिक्षा मंत्री-सह-अध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उपाध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना/कुलपति, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर/निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(बैद्यनाथ यादव)
सदस्य सचिव-सह-राज्य
परियोजना निदेशक,
बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, पटना